GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-451
ANSWERED ON - 01/12/2021

SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE TO SCs OF UP & AP

451. SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) the grants released in the past three years, under the Special Central Assistance (SCA) to Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) State-wise and year-wise;

(b) the list of projects/activities under the SCA for which grants have been released in the last three years to Uttar Pradesh (UP)and Andhra Pradesh (AP); and

(c) the details of projects in the above said SCA in UP and AP like location of the project, project details, amount sanctioned, expenditure incurred, number of people benefitted, impact assessment, if any, etc?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SHRI RAMDAS ATHAWALE)

(a) to (c) The Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing a Centrally Sponsored Scheme of Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan wherein Central Assistance is released to the State Government(s) and Union Territory Administration(s), including Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, as an additive in order to support the Scheduled castes Sub-Plan of the States/Union Territories for the socio-economic development of the Scheduled Castes.

Details of grants released in the past three years, state-wise and year-wise are at **Annexure-I.** Details of locations of the projects, project details, amount sanctioned, expenditure incurred, number of people benefitted, impact assessment are at **Annexure-II.**

*****

Annexure -I

Annexure referred to in response of Part (a) of Rajya Sabha Admitted Unstarred Question No. 451

Release of Grants under the Scheme of Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan (SCA to SCSP)

Rs. in Lakh

Sl.No.	States/UTs	2018-19	2019-20	2020-21
		Release	Release	Release
1	Andhra Pradesh	4184.17	6050.00	2907.25
2	Assam	0.00	3000.00	679.07
3	Bihar	600.00	0.00	0.00
4	Chandigarh	47.00	0.00	0.00
5	Chattisgarh	2148.00	1553.50	0.00
6	Delhi	0.00	235.00	88.37
7	Goa	0.00	0.00	0.00
8	Gujarat	0.00	2650.00	904.87
9	Haryana	1534.00	0.00	0.00
10	Himachal Pradesh	962.00	2500.00	2102.76
11	Jammu & Kashmir	371.00	0.00	0.00
12	Jharkhand	2243.00	1780.00	0.00
13	Karnataka	6355.44	0.00	0.00
14	Kerala	1137.00	1210.97	0.00
15	Madhya Pradesh	9178.00	16097.00	0.00
16	Maharashtra	0.00	7650.86	0.00
17	Manipur	90.00	489.25	0.00
18	Odisha	5267.00	0.00	4184.77
19	Puducherry	0.00	0.00	23.27
20	Punjab	0.00	0.00	0.00
21	Rajasthan	6498.00	0.00	0.00
22	Sikkim	165.00	419.14	0.00
23	Tamil Nadu	7407.47	19667.01	8297.14
24	Telangana*	3287.00	2613.77	2852.33
25	Tripura	1470.00	0.00	0.00
26	Uttar Pradesh	25263.14	29112.98	0.00
27	Uttrakhand	0	0.00	0.00
28	West Bengal	10448.78	16485.00	16660.00
	Total	**88656.00**	**111514.47**	**38699.83**

ANNEXURE-II

Annexure-II referred to in response to part c) of Rajya Sabha Admitted Unstarred Question 451

Details of Projects under scheme of Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Plan(SCA to SCSP)

Andhra Pradesh

Location of the Units: Income Generating Activities and Skill Development Programmes are implemented in all the 13 districts in Andhra Pradesh.

List of Projects and Project details: The last approved Annual Action Plan containing the list of projects and project details in respect of the year 2020-21 is at Appendix- A

Details of expenditure incurred and number of people benefitted

(Rs. in Lakhs)

Sl. no.	Financial Year	Amount Sanctioned	Expenses incurred	No. of beneficiaries
1	2018-19	5253.2	4184	41832
2	2019-20	6050	6050	60500
3	2020-21	2907	2907	19329

Uttar Pradesh

Location of the Units: Income Generating Activities and Skill Development Programmes are implemented in all the 75 districts in Uttar Pradesh.

List of Projects and Project details: The last approved Annual Action Plan containing the list of projects and project details in respect of the year 2019-20 is at Appendix- B

Details of expenditure incurred and number of people benefitted

(Rs in Lakhs)

Sl. no.	Financial Year	Amount Sanctioned	Expenses incurred	No. of beneficiaries
1	2018-19	25263	14312	36040
2	2019-20	45543	5766.7	21167
3	2020-21	0	29722	36562

Impact Assessment of the projects: Social Audit on Income Generating Activities and Impact Assessment on Skill Development Programmes are continuous process. Evaluation of the scheme was conducted through the National Institute of Rural Development in the year 2018-19 and subsequently through the NITI Aayog in the year 2020-21

*****

Appendix – A

Andhra Pradesh Scheduled Castes Coop. Finance Corporation Limited

Annual Action Plan 2020-21
SCA to SCSP

3rd & 4th Floor, SP's River View Building, Tadepalli Amaravati, Andhra Pradesh
e-mail :mdapsccfc@gmail.com, md_apsccfc@ap.gov.in

-4-

Andhra Pradesh Scheduled Castes Co-op. Finance Corporation Limited :: Amaravati

Introduction

The A.P. Scheduled Castes Co-op Finance Corporation Ltd, Hyderabad, was set up in the year 1974 with 23 District SC Service Cooperative Societies in the undivided State of Andhra Pradesh.

Pursuant to the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014, APSCCFC Ltd has been bifurcated into two entities and APSCCFC Ltd has been created for the State of Andhra Pradesh with 13 District SC Service Cooperative Societies, w.e.f. 02-06-2014.

Objectives

The Corporation has been established with the following main objectives:

- To provide financial assistance for creation of income generating assets to the poor Scheduled Caste households for Social and Economic Development.
- To offer training programmes for Skill Development /Skill up gradation leading to self/wage employment
- To plug critical gaps of finance in economic support schemes.

General Profile

The State of Andhra Pradesh is having 84,69,278 SC population (17.08%) out of total population of 4,95,77,103, and 22,22,255 SC households out of total households 1,26,03,872 as per 2011 census.

Financial Resources

APSCCFC Ltd. has been implementing various Economic Support Schemes for SCs utilizing Special Central Assistance (SCA) as Subsidy, funds of State Government under Economic Support Schemes (ESS), Managerial Subsidy for Administrative cost etc. The resources like 5% of 15% Earmarked funds are also mobilized from the local bodies (ZPPs / MPPs etc) at District level by District SC Society and major matching Loan Assistance from the Banks and subsidy provided by the Corporation.

Enhancement of subsidy:

The Government have enhanced the subsidy component for economic support schemes to 60% of unit cost limited to Rs 1.00 lakh in the case of the self-employment schemes (GO Ms No.101, SW(SCP-I) Dept Dated 31-12-2013), and in the case of the Land Purchase Scheme, subsidy was raised to 75% and remaining 25% NSFDC / Institutional Finance duly increasing the unit cost of LPS from Rs 5.00 lakhs to Rs 15.00 lakhs vide *GO. Ms. No. 118 SW (SCP) Department, Dt 16-12-2016).* Accordingly, the annual SCAPs are being implemented.

Special Central Assistance to SCSP

The Government of India is providing Special Central Assistance (SCA) against the Budget allocation every year through Government of Andhra Pradesh. This Special Central Assistance is utilized as Subsidy for various Economic Support schemes for the Scheduled Caste families living Below Poverty line under SC Action Plans for their Economic Development. The Special Central Assistance is utilized duly linking it with bank loans. It is also utilized as 100% Subsidy for the skill up gradation and skill development of SC unemployed youth.

The details of components of SCA which are implemented by the State Channelizing Agency by utilizing the funds out of SCA to SCSP are given below:

1. Self-Employment schemes
2. Minor Irrigation and Energization of Bore wells schemes
3. Schemes for Vulnerable groups (Flayers & Tanners, Jogins& Bonded Labours).
4. Self-employment schemes under NSFDC and NSKFDC.
5. Purchase of Agriculture land schemes
6. Skill development/skill up gradation training programmes
7. Infrastructure development, Entrepreneurs Dev. Programme for Selected SC beneficiaries, Vaddilenirunalu and For Beneficiary Awareness/ publicity programmes and EDP Training Programmes.

SC Women (SHGs)

According to the guidelines of Government of India, 15% of the funds of SCA to SCSP is to be earmarked for the development of SC women. Normally, the SC Women are deriving the benefits out of various income

generating schemes implemented through Bankable ISB, Minor Irrigation Programmes, Land Purchase Scheme, Skill Upgradation Trainings, Dairy units, Paper Plates making, Brick making units, Pickle making units, Stitching and Tailoring, Promotion of small retail businesses like kirana and Food points etc and loans will be provided to Women (SHGs) under Bankable Programmes.

Disabled Persons among SCs

5% of the SCA to SCSP funds are earmarked for the development of disabled persons among SCs as per the Revised Guidelines of Government of India. Generally, these people are assisted under different Income Generating Schemes and Programmes funded out of SCA to SCSP. Apart from these, specific schemes are to be made with provision for training-cum-production activities which will be implemented for the benefit of these disabled persons.

Bankable Schemes

It is proposed to cover individuals and groups under ISB sector with Bank-linkage under Self Employment Schemes which are classified into following 4 categories in Rural and Urban areas.

a. up to Rs.3.00 lakhs
b. Rs. 3.01 to Rs 5.00 lakhs
c. Rs 5.01 lakhs to Rs 10.00 lakhs &
d. (Group - 5 to 10 persons) Rs 5.01 to Rs 10.00 lakhs

The unit cost for the Income Generation Programme to be implemented to the individual and Self-Help Group members in rural and urban areas.

The mapping of the schemes to identify the beneficiaries shall be on the basis of local needs, market feasibility, economic viability and as per the choice of the beneficiaries from the list of recommended viable schemes.

In the case of bank-linked economic support schemes under ISB sector, the unit cost range is only indicative and EDs shall always prevail upon the banks to consider bigger units in order to establish viable units.

Under ISB sector, priority shall be given to educated unemployed youth of POP households in age group between 21 to 50 years, in respect of self-employment schemes.
In the case of transport sector, the beneficiary shall possess the permanent valid driving license (Transport) and badge.

Skill Upgradation Training Programme:

Imparting skills and knowledge must be complemented by employment opportunities to meet the rising aspirations of youth. The challenge lies not only in a huge quantitative expansion of facilities for skill training, but also in raising their quality. India can then become the global sourcing hub for skilled employees. Realizing this need, the **Andhra Pradesh Scheduled Castes Co-operativeFinance Corporation Ltd,** (APSCCFC Ltd.) has made provision for upgrading skills ofunemployed educated SC youth and allocated resources to SC educated unemployed youth.

Objective:

The objective of this Scheme is to increase the employability Skills among SC youth by implementing "Placement Linked Skill Development Training Programmes".

Encourage Standardization in the certification process and initiate a process of creating a registry of skills.

Enable and mobilize a large number of SC youth in Andhra Pradesh State to take up skill training and become employable.

In accordance with the trends and NSDC guidelines, the training programmes offered are categorized into the following training programmes;

- ✓ Wage employment programmes,
- ✓ Self EmploymentProgrammes,
- ✓ Employable Skills Programme-English language competency Certifications(BEC, TESOL, PTE, IELTSetc.)
- ✓ Competitive Examination - All Bank exams (PO, Clerical, IBPS etc.) GATE, GRE, GMAT
- ✓ High End Training Courses- IT/ITES – Analytics, IOT, SAP, Roboti

Training Cost :

The training cost per candidate is arrived based on the Common Cost Norms prescribed by GO1. Presently there are 3 categories is arrived for training cost for per hour is as follows:

- Category - I - Rs.46-70
- Category - II - Rs.40-00
- Category – III - Rs.33-40

The APSCCFC Ltd., is conducting trainings with empanelled training partners in the following courses;

Sl. no.	Sector	Courses
1.	Domestic workers sector	General house keeper, House keeper-cum-cook
2.	Healthcare sector	Pharmacy assistant, General duty assistant, Dental assistant, Home health aid
3.	Apparel	Sewing machine operator, Hand embroidery
4.	Beauty & wellness sector	Hair stylist ,Beauty therapist, Asst. beauty therapist
5.	Electronics Sector	Field technician computing and peripherals, Mobile phone hardware repair technician, Solar panel installation technician
6.	Retailer Associations	Retail sales Association
7.	Telecom Sector	Customer care executive (call centre), Optical fibre technician
8.	IT-ITES sector	Domestic data entry operator, Associate Analytics Associate DTP,CRM domestic voice CRM domestic non-voice
9.	Automotive skills	LMV driving, HMV driving
10.	Media and entertainment sector	Roto artist

Eligibility Criteria :

The eligibility criteria to join any course will be depends on the Educational requirements as per the Qualification Pack (QP) defined by NSDC and age of the candidate should be between 18 years to 35 (age relaxation for certain kind of job roles).

Mode of Implementation of Skill Training Programme :

- The APSCCFC Ltd., Amaravati is also providing high-end and low-end trainings under skill development training programmes for the educated un-employed youth in (43) sectors and (843) job roles.v
- The training programmes are designed and implemented through various competent Training Providers and the Knowledge Partners to suit the industry requirements.
- Impart Training at each District/Town/Block levels across Andhra Pradesh
- Theory and practical sessions will be conducted at the training centres and On the Job Training (OJT) in the respective industries.
- The respective DSDOs will montor the trainings at the District level.

Monitoring, Evaluation & Supervision

As per SCA guidelines, 3% of the total SCA released to states shall be utilized by states for Supervision, monitoring and evaluation of economic development schemes implemented with the support of SCA to SCSP funds. The Action plan under Monitoring, Evaluation & Supervision are given at Format I.

The summary of the Annual Action Plan for the year 2020-21 under SCA to SCSP is given below:

(Rs in lakhs)

Sl. No.	Major Component	No.of persons likely to benefitted under SCA to SCSP	Total Outlay	Funds Proposed under SCA to SCSP
1	Income Generating Schemes	65273.00	113649.25	6174.00
2	Skill Development Training	5000.00	2250.00	726.00
	Sub- Total	**70273.00**	**115899.25**	**6900.00**
3	Infrastructure, Monitoring, Evaluation & Supervision, Publicity/EDP/Awareness	0	360.00	360.00
	Grand Total	**70273.00**	**116259.25**	**7260.00**

AP SC COOP. FINANCE CORPORATION

FORMAT- I : Annual Action Plan under SCA to SCSP - 2020-21

A. *INCOME GENERATING SCHEMES*

(Rs in lakhs)

Sl.No.	Name of the Category	Name of the Scheme	Physical Target		Financial Target				
			No. of Benf. Likely to be covered		Total Outlay	Subsidy	Loan	Others	Funds proposed under SCA to SCSP (out of column 6)
			Overall	From SCA to SCSP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Bankable Schemes**								
	Animal Husbandry	a) Graded Murrah Buffaloes (2 Animals)	2496	463	3077.75	2171.81	905.94	0.00	227.89
		b) Cross Breed Cows (2 Animals)							
		c) Dairy Units							
		d) Sheep Unit (20+1)							
	Group Units for SHG Women	a) Rs 5.01 lacs to Rs 10 lacs	43680	8097	41080.00	27081.60	13998.40	0.00	2841.69
		b) Rs.10.01 lacs to Rs 15 lacs							
	Industry, Service and Business	Leather made Articles with pucca shop	10686	1981	24284.00	9838.40	14328.60	117.00	1032.35
		Liquid Detergent /Powder made/Making							
		Marble polishing / granite cutting							
		Photography & Videography							
		Pickle Making							
		Printing Press & DTP							
		Paper plates making							
		Readymade garments making							
		Tent House with catering unit, Sound system							
		Welding works							
		Seeds processing and packing works							
		Screen Printing							
		Garment Manufacturing							
		Electronic goods Repair centre							
		Cool drinks selling Point							
		Chicken shop							
		Mutton Shop							
		Bookbinding/Bookshop							
		Carpentry with tools manual works							
		Cashew making							
		Cell point (Sales and							

		Service)						
		Total - Bankable Schemes	**56862**	**10541**	**68441.75**	**39091.81**	**29232.94**	**117.00**	**4101.93**
II	**Non-Bankable Schemes**								
	Minor Irrigation	Bore well & Submersible Pumpsets	841	156	4520.75	1974.70	2458.56	87.49	207.21
		Submersible Pumpsets							
	NSFDC Schemes (SES)	Self-employment - Detailed Project Report (DPR) Appraisals	4505	835	24394.50	10582.65	13338.59	473.27	1110.45
		a) upto Rs 3.00 lakhs units							
		b) Rs 3.01 lacs to Rs 5 lakhs							
		c) Rs 5.01 lacs to Rs 10 lakhs							
	Transport Sector	a) Goods Vehicles							
		b) Tractor cum Trailors							
		c) Passenger Car							
		Total	**4505**	**835**	**24394.50**	**10582.65**	**13338.59**	**473.27**	**1110.45**
	NSKFDC Schemes (SES)	Self-employment - Detailed Project Report (DPR) Appraisals	3065	568	16292.25	7189.65	8788.46	314.15	754.42
		a) upto Rs 3.00 lakhs units							
		b) Rs 3.01 lacs to Rs 5 lakhs							
		c) Rs 5.01 lacs to Rs 10 lakhs							
	Transport Sector	b) Goods Vehicles							
		c) Tractor cum Trailors							
		d) Passenger Car							
		Total	3065	568	16292.25	7189.65	8788.46	314.15	754.42
		Total - Non-Bankable Schemes	8411	1559	45207.50	19747.00	24585.60	874.90	2072.07
		Grand Total	65273	12100	113649.25	58838.81	53818.54	991.90	6174.00

-12-

FORMAT- I: Annual Action Plan under SCA to SCSP - 2020-21
B. SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME

(Rs in lakhs)

Sl.No.	Name of the Category	Name of Skill Development Programme (SDP)	Physical Target: No. of Benf. Likely to be covered		Financial Target	
			Overall	From SCA to SCSP	Total Outlay	Funds proposed under SCA to SCSP (out of column 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Skill upgradation Training Programme	High End Training Courses	5000	1613	2250.00	726.00
		Employable Skills Programme				
		Competitive Examination				
		Wage Employment Programmes				
		Self-employment Programme				
		Training for APSWREIS New recruits in teaching and Non-Teaching(Care Takers).				
		To upgrade skills for Leather Artisans with collaboration of CLRI, Chennai				
Total			5000	1613	2250.00	726.00

73

FORMAT- I:Annual Action Plan under SCA to SCSP - 2020-21
E. MONITORING & EVALUATION

(Rs in lakhs)

Sl.No.	Activity	Funds Requirement	Remarks (Brief of activities proposed may be provided)
1	2	3	6
1	Infrastructure	152.00	Evaluation of scheme under SCA to SCSP
2	Monitoring, Evaluation &Supervision	100.00	Repairs to Shopping Complexes
3	Publicity/EDP/Awareness	108.00	Creating awareness to the beneficiaries, EDP Training Programme to beneficiaries before grounding of the units
			Creating publicity and awareness for SC women entrepreneurs and awareness programs for Joginis and Safaikarmacharis
Total		**360.00**	

MUDDADA RAVI CHANDRA
SECRETARY TO GOVERNMENT

-th-

Appendix - B

संशोधित वार्षिक कार्य–योजना–2019–20

अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शतप्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में संचालित की जाने वाली योजनाएं।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय–व्ययक प्राविधान
1	2	3
01	अनु0जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनाएं	18509.00
02	(क) स्वतः रोजगार योजना	10000.00
	(ख) पं0दीन दयाल आटा/मसाला चक्की योजना	
	(ग) टेलरिंग शाफ योजना	
03	शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना	780.00
04	निःशुल्क बोरिंग योजना	1500.00
05	सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	41.20
06	निगम की योजनाओं का सर्वेक्षण मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	50.00
07	निगम द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार/जागरूकता कार्यक्रम	100.00
08	धोबी समाज के व्यक्तियों को डाईक्लीनिंग एवं लाण्ड्री हेतु अनुदान	31.60
09	अनुसूचित जाति के बाहुल्य ग्रामों में सर्वांगीण विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	3300.00
10	अनु.जाति वित्त विकास निगम में पूंजी निवेश (कम्प्यूटराइजेशन)	80.00
11	धोबी समाज के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना	400.40
12	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)	5000.00
	योग–	39792.20

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
अनु सचिव।

- 15 -

52

अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु टेलरिंग शॉप योजना

1– **प्रस्तावनाः–**

विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना (बैकेबुल) संचालित है। विगत वर्षो में यह अनुभव किया गया है कि अनुसूचित जाति के परिवारों को राष्ट्रीयकृत बैंक से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में काफी कठिनाई हो रही है। अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के युवक एवं युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से इच्छुक व्यक्तियों जिनमें व्यवसाय करने की लगन व कुशलता है परन्तु व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी एवं संसाधन न होने के कारण धनोपार्जन नहीं कर पा रहे है। अतः ऐसे कला–कौशल गुण के युवक/युवतियों हेतु "**टेलरिंग शॉप योजना**" निगम के माध्यम से वित्त पोषित कराते हुये संचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना में लाभान्वित अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी उनकी इच्छानुसार उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0(अनुगम) द्वारा प्रस्तावित "**टेलरिंग शॉप योजना**" के माध्यम से यथासम्भव व्यवसाय हेतु चयनित कर लाभान्वित किये जाने में वरीयता दी जायेगी, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।

2– **लक्ष्यः–**

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित 1,00,000 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 40 प्रतिशत महिलाओं एवं 05 प्रतिशत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में **प्रदेश के 75 जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनपद हेतु निर्धरित लक्ष्य का 10 प्रतिशत अर्थात् कुल** 10,000 व्यक्तियों को नवीन प्रस्तावित योजना में आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

मद	इकाई लागत	लाभार्थी संख्या
विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से जिसमें स्थाई पूँजी सम्मिलित होगी। योजना लाभार्थी की इच्छा/अभिरुचि के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।	अधिकतम रू0–20,000/– (अनुदान + ब्याज मुक्त ऋण)	स्वत :रोजगार योजनान्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक होगा।

3– **वित्तीय स्रोतः–(प्रति व्यक्ति)**

अनुदान – अधिकतम रू0–10,000/– **(विशेष केन्द्रीय सहायता से)**

ब्याज मुक्त ऋण–योजना लागत का 50 प्रतिशत रू0 10,000/–**(विशेष केन्द्रीय सहायता से)**

4– **मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्ययः–**

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता के दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना लागत का 03 प्रतिशत मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में निगम को अनुमन्य होगा।

– 16 –

5– **ऋण अदायगी:–**

ऋण वितरण के एक माह पश्चात 36 समान मासिक किश्तों में ऋण अंश की बिना ब्याज वसूली की जायेगी। निर्धारित समयावधि में ऋणगृहीता द्वारा ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी न करने, शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किये जाने पर ऋण गृहीता से अवशेष देय ऋण की राजस्व विभाग की भांति 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क सहित वसूली की जायेगी।

6– **योजना का क्रियान्वयन:–**

- प्रदेश के समस्त जनपदों (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में संचालित की जाएगी।
- प्रश्नगत प्रस्तावित योजना में 03 वर्षों में वितरित ऋणों की वसूली को रिवाल्विंग फण्ड के रूप में प्रयोग कर योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष रू0 10.00 करोड़, द्वितीय वर्ष रू0 5.00 करोड़ तथा तृतीय वर्ष रू0 2.50 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण की आवश्यकता होगी, तत्पश्चात् कुल रू0 17.50 करोड़ (3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय अतिरिक्त) की धनराशि को रिवाल्विंग फण्ड के रूप में योजना का कियान्वयन किया जायेगा।

7–**पात्रता:–**

1– अनुसूचित जाति का बेरोजगार महिला/पुरूष हो।
2– गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती/करता हो।
3– उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
4– किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो ।
5– समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी।

8– **चयन प्रक्रिया:–**

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर पूर्व से संचालित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी चयन में पूर्ण पारदर्शिता का अनुपालन किया जायेगा।

9– **योजना संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकता:–**

भौतिक लक्ष्य (वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु)	10000 परिवार/व्यक्ति
अनुदान	1000.00 लाख
ब्याज मुक्त ऋण	1000.00 लाख
प्रशासनिक व्यय (3 प्रतिशत)	60.00 लाख
योजना की कुल लागत (रू. दो हजार साठ लाख मात्र)	2060.00 लाख

10– **वसूली हेतु दायित्व:**

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम एवं सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोड़कर अन्य समस्त परिस्थितियों में ऋण एन0पी0ए0/दुरूपयोग होने पर ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा।

000

- 17 -

54

परियोजनाः-अनुसूचित जाति के बेरोजगार महिला/पुरूषों हेतु "टेलरिंग शॉप" योजना

1-परियोजना लागतः- 20,000.00

2-अनावर्ती लागत :- 19,000.00

(ऊषा / सिंगर कम्पनी की दो पैर की मशीन टाप सहित, प्रेस एवं उपकरण)

3-आवर्ती लागतः- 1,000.00

(कच्चा माल/संचालन व्यय आदि)

4-वित्तीय व्यवस्थाः-

अनुदान- अधिकतम रू0-10,000/- (विशेष केन्द्रीय सहायता से)

ब्याज मुक्त ऋण -50 प्रतिशत रू.10,000/- (विशेष केन्द्रीय सहायता से)

5-मासिक व्ययः-

बिजली पर व्यय- (प्रतिदिन औसत 06 यूनिट, प्रति यूनिट 06 रू0 की दर से)	900.00
कच्चा माल/भाड़ा पर व्यय-	200.00
ह्रास/मरम्मत पर व्यय	200.00
किश्त	280.00
योग-	1580.00

6-मासिक आयः-(प्रथम वर्ष) 7,500.00

प्रतिदिन सिलाई/पीको से माह में 25 दिन @ 300/-प्रति दिन

7-मासिक बचतः-(7,500.00-1,580.00) 5,920.00

8-वार्षिक आय 71,040.00

000

-18-

प्रस्ताव – **अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु बैंकिंग सुविधा प्रदाता (बिजनेस करेसपोन्डेण्ट) की योजना**

1– प्रस्तावनाः–

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना शासनादेश संख्या यू0ओ0/104/26–7(13)/75 दिनांक 24–03–1975 द्वारा बिना लाभ–हानि के आधार पर कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गयी है। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय प्राविधान/प्रबन्धकीय एवं विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करके आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास करना निगम का उद्देश्य है।

उपरोक्त कम में अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से शिक्षित युवक/युवतियों हेतु बिजनेस करेसपोन्डेन्ट(व्यवसाय संवाददाता)योजना निगम द्वारा संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। युवक/युवतियों को "बिजनेस करेसपोन्डेन्ट(व्यवसाय संवाददाता)" बनाने हेतु निगम द्वारा किसी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग की अल्प अवधि से एक माह का प्रशिक्षण दिलाकर योजना संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में ऋण गृहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु फर्नीचर, एक डेस्कटॉप, फिंगर प्रिन्ट मशीन, इनवर्टर आदि व्यवस्था स्वयं उपलब्ध कराये गये ऋण से करना होगा ।

"बिजनेस करेसपोन्डेन्ट(व्यवसाय संवाददाता)" (बीसी) गतिविधियाँ:–

व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीकृत बैंकों के अधिकृत एजेण्ट के रूप में कार्य करेगें। इस हेतु संबंधित बैंक द्वारा बिजनेस करेसपान्डेन्ट से रू. 25,000/– की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करायी जायेगी। जमा धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यवसाय संवाददाता द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान केडिट कार्ड, नामांकन कार्ड, आई0डी0कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा जमा करना निकालना, ऑन लाइन धनराशि हस्तान्तरित करना, आदि बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जायेगी । रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य पात्रता मानदंडो को पूरा करने के लिए विषय बीसी/बीसीए को रिकवरी एजेंट के रूप में लगाया जाएगा और प्रत्येक शाखा द्वारा एसपी/बीसीए से अलग समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता हैं।

2– पात्रताः–

1– अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।
2– गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करता हो।
3– उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
4– किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व मे किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो।
5–शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट(साइंस/कामर्स/अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हो। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी)।

3–लक्ष्यः–

योजना के प्रथम चरण में पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में 500 युवक/युवतियों को इस नई योजना से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

मद	इकाई लागत	लाभार्थी संख्या
रू0–1,00,000/– लागत तक का ऋण विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से जिसमें स्थाई पूँजी सम्मिलित होगी।	अधिकतम रू0–1,00,000/–	500

4–योजना का कियान्वयनः–

योजना का कियान्वयन करने से पूर्व जनपद द्वारा उक्त व्यवसाय हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निगम द्वारा चयनित मार्गदर्शी संस्था द्वारा अल्प अवधि/एक माह का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों में से उक्त योजना में कार्य करने हेतु इच्छुक लाभार्थियों को निगम द्वारा चयनित मार्गदर्शी संस्था के माध्यम से बैंक से लाइसेन्स प्राप्त कराने एवं निगम द्वारा स्वीकृत ऋण की अदायगी की अवधि तक योजना को सफल बनाने में सहयोग किया जायेगा। मार्गदर्शी संस्था का यह उत्तर दायित्व होगा कि चयनित बिजनेस करेसपोन्डेन्ट से निगम द्वारा दिये गये ऋण की वसूली निर्धारित अवधि में होती रहे। मार्गदर्शी संस्था के चयन का अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

5– वित्तीय स्रोत:–

अनुदान –	अधिकतम रू0–10,000/–(10प्रतिशत)(विशेष केन्द्रीय सहायता से)
मार्जिन मनी ऋण–	रू0–25,000/–(25प्रतिशत) अंशपूँजी से
ब्याज मुक्त ऋण –	रू0–65,000/–(65प्रतिशत)(विशेष केन्द्रीय सहायता से)

6– मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्यय:–

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता के दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना लागत का 03 प्रतिशत मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में निगम को होगा।

7– ऋण अदायगी:–

ऋण वितरण के एक माह के पश्चात परियोजना लागत के आधार पर 36 समान मासिक किश्तों में वसूली की जायेगी। निर्धारित समयावधि में ऋणगृहीता द्वारा ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी न करने पर ऋणगृहीता से अवशेष ऋण पर 4 प्रतिशत संग्रह शुल्क लिया जायेगा।

8– योजना का क्रियान्वयन:–

पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों के शहरी एवं विकसित न्याय पंचायतों में। लाभार्थी के चयन में विशेषकर यह ध्यान रखा जायेगा कि वह व्यवसाय करने के इच्छुक हों तथा ऋण की अदायगी समय पर कर सके। निगम की कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना अथवा कौशल विकास मिशन के माध्यम से कम्प्यूटर संचालन में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाये।

9– चयन प्रक्रिया:–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होगें:–

1– मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम	सदस्य
3– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द/लीड बैंक आफिसर	सदस्य
4– सहायक प्रबन्धक अनुगम	सदस्य सचिव

10– योजना संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकता:–

भौतिक लक्ष्य	500युवक/युवतियॉं
अनुदान	50.00 लाख
मार्जिन मनी ऋण	125.00 लाख
ब्याज मुक्त ऋण	325.00 लाख
प्रशासनिक व्यय (3प्रतिशत)	15.00 लाख

11– वसूली:–

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम एवं सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में ऋण एन0पी0ए0/दुरूपयोग होने की दशा में ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक अनुगम का मानते हुये ऋण की वसूली की जायेगी। लाभार्थी चयन में पूर्ण सर्तकता एवं पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

बैंकिंग सुविधा प्रदाता

परियोजनाः–बिजनेस करेसपोन्डेन्ट की योजना

1–परियोजना लागतः–		1,00,000.00
2–अनावर्ती लागत :– (फर्नीचर/मशीन एवं उपकरण)		85,000.00
3–आवर्ती लागतः– (संचालन व्यय आदि)		15,000.00

4–वित्तीय व्यवस्थाः–

अनुदान– अधिकतम रू0–10,000/– (विशेष केन्द्रीय सहायता से)
मार्जिन मनी ऋण रू0–25000/– (निगम की अंशपूजीं से)
ब्याज मुक्त ऋण – रू0–65000/–(विशेष केन्द्रीय सहायता से)

5–मासिक व्ययः–	बिजली पर व्यय–	1000.00
	दुकान किराया–	1500.00
	नेट कनेक्शन–	1500.00
	ह्रास/अन्य विविध व्यय	2500.00
	किश्त	2675.00
	योग–	9175.00
6–मासिक आयः– (अनुमानित)		20000.00
7–मासिक बचतः–(20000.00–9175.00)		10825.00

–21–

 558

अनुसूचित जाति की उदयमी महिलाओं हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय आटा/मसाला चक्की की योजना

1– प्रस्तावनाः–

विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना (बैंकेबुल) संचालित है। विगत वर्षो में यह अनुभव किया गया है कि अनुसूचित जाति के परिवारों को राष्ट्रीयकृत बैंक से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण ऋण उपलब्ध कराने में काफी कठिनाई होती है। अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से ऐसी इच्छुक महिला जिनमें व्यवसाय करने की कुशलता है परन्तु व्यवसाय हेतु उनके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी एवं संसाधन नहीं है, उनके लिये नई " पंडित दीन दयाल उपाध्याय आटा /मसाला चक्की की योजना" सीधे निगम के माध्यम से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान समय में बाजार में आटा/मसाला पीसने के लिए 01 से लेकर 02 एच0पी0 तक की क्षमता वाली छोटी मशीने उपलब्ध है, जिसके द्वारा प्रतिदिन 50 किलो आटा तथा 10 से 20 किलो मसाल की पिसाई की जा सकती है। इस योजनान्तर्गत लक्षित समुदाय को औपचारिकताएं पूर्ण करने के एक सप्ताह के अन्दर अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु अधिकतम रू0–20,000/– लागत तक की उक्त योजना में उसकी स्वेच्छा एवं अभिरूचि के अनुसार योजना में वित्त पोषित किया जायेगा। इससे अनुसूचित जाति के महिलाओं को सरलता से रियायती दर पर अपना व्यवसाय करने के अवसर प्राप्त होगें।

2– लक्ष्यः–

पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित 1,00,000 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 40 प्रतिशत महिलाओं की एवं 05 प्रतिशत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु लक्ष्य निर्धारित है। योजना के प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति जनपद 125 महिला लाभार्थी अर्थात् कुल 2250 महिलाओं को इस नई स्व योजना से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

मद	इकाई लागत	लाभार्थी संख्या
विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से जिसमें स्थाई पूँजी सम्मिलित होगी। योजना क्षेत्रीय आवश्यकता एवं लाभार्थी की अभिरूचि एवं योग्यता के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।	अधिकतम रू0–20,000/– (अनुदान+ब्याज मुक्त ऋण)	स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य का 05 प्रतिशत तक होगा।

3– वित्तीय स्रोतः–

अनुदान – अधिकतम रू0–10,000/– (विशेष केन्द्रीय सहायता से)
ब्याज मुक्त ऋण – 50 प्रतिशत (विशेष केन्द्रीय सहायता से)

–२२–

4– मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्ययः–

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता के दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना लागत का 03 प्रतिशत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में निगम को अनुमन्य होगा।

5– ऋण अदायगीः–

ऋण वितरण के एक माह पश्चात परियोजना लागत के आधार पर 36 समान मासिक किश्तों में वसूली की जायेगी। निर्धारित समयावधि मे ऋणगृहीता द्वारा ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी न करने पर ऋणगृहीता से अवशेष ऋण पर राजस्व विभाग की भांति वसूली 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क सहित की जायेगी।

6– योजना का क्रियान्वयनः–

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। योजना के सफल संचालन होने पर इसे प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जाएगा।

7–पात्रताः–

1– अनुसूचित जाति की महिला हो।
2– गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती हो।
3– उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
4– किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो एवं डिफाल्टर न हो।

8– चयन प्रक्रियाः–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा :–

1– मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम	सदस्य
3– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4– सहायक प्रबन्धक अनुगम	सदस्य सचिव

9– योजना संचालन हेतु वित्तीय आवश्यकताः–

भौतिक लक्ष्य	2250 परिवार/व्यक्ति
अनुदान	225.00 लाख
ब्याज मुक्त ऋण	225.00 लाख
प्रशासनिक व्यय (3 प्रतिशत)	13.50 लाख
योजना की कुल लागत	463.50 लाख

10– वसूलीः–

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम एवं सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोडकर अन्य समस्त परिस्थितियों में ऋण एन0पी0ए0/दुरूपयोग होने पर ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा। लाभार्थी चयन में पूर्ण सतर्कता एवं पारदर्शिता सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

–23–

परियोजनाः—पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत आटा /मसाला चक्की की योजना

1—परियोजना लागतः—	20,000.00
2—अनावर्ती लागत :— (मशीन एवं उपकरण)	17,000.00
3—आवर्ती लागतः— (कच्चा माल / संचालन व्यय आदि)	3,000.00

4—वित्तीय व्यवस्थाः—

अनुदान— अधिकतम रू0 10,000/— (विशेष केन्द्रीय सहायता से)
ब्याज मुक्त ऋण — 50 प्रतिशत (विशेष केन्द्रीय सहायता से)

5—मासिक व्ययः—

बिजली पर व्यय— (प्रतिदिन औसत 06 यूनिट, प्रति यूनिट 06 रू0 की दर से)	900.00
पैकिंग/भाडा पर व्यय—	200.00
ह्रास/मरम्मत पर व्यय	200.00
किश्त	280.00
योग—	1580.00

6—मासिक आयः— 9,500.00

1—प्रतिदिन घरेलू आटा 50 किलो माह में 25 दिन दर 20/— प्रतिकिलो—	25000.00
2—प्रतिदिन मसाला 10 किलो माह में 25 दिन दर 120/— प्रतिकिलो —	30000.00
3— आटा/मसाला पिसाई से 50/—प्रतिदिन औसत आय —	1250.00
4—मासिक कुल 55,000.00 की बिकी पर 15 प्रतिशत औसत लाभ—	8250.00
5—कमांक 3 एवं 4 का योग(मासिक सकल आय)—	9500.00

7—मासिक बचतः—(9500.00—1580.00) **7920.00**

cccccc

(विनोद तिवारी)
उप महाप्रबन्धक

—25—

परिचालन प्रस्तावः बांसकार समाज हेतु ब्याज मुक्त "बांस फर्नीचर उद्योग योजना" के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

अ—प्रस्तावनाः—

बाँस का कार्य करने वाले बाँसकार समाज के अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा बाँस/ बेंत से घरों में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सामान तैयार किये जाते हैं जैसे—बाँस से बना सोफा, कुर्सी, स्टूल, डलिया, टोकरी, पर्दा तथा हैंगिंग बास्केट आदि। किन्तु बाँसकार समाज का आर्थिक सशक्तीकरण न होने के कारण अधिकतर कारीगारों को जीवन यापन हेतु दैनिक मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है और इन्हें इनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बाँस/बेंत से सामान बनाने वाले वर्ग के लोग समाज मे अति पिछड़ें होने के कारण इनके आर्थिक विकास हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बाँसकार समाज के हुनरमंद कारीगरो हेतु बाँस/ फर्नीचर उदयोग हेतु वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। इससे एक ओर बाँसकार समाज को रियायती दर पर उचित रोजगार के अवसर प्रदान होगें, दूसरी ओर समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गो को सस्ते मे घरेलू उपयोग के सामान मिल सकेगें। योजना का स्वरूप निम्नवत है—

1—प्लान्ट एवं मशीनरी

1—बाँस क्रास कटर मशीन	एक अदद	रू0 42,500.00
2—हैण्ड स्पलीटर मशीन	एक अदद	रू0 6,500.00
3—बाँस टर्निंग मशीन	एक अदद	रू0 29,500.00

योग— रू0 78,500.00

2—योजना लागत

क— भूमि व भवन	स्वयं की व्यवस्था / किराये पर
ख— प्लान्ट एवं मशीनरी	रू0 78,500.00
ग— फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रू0 15,500.00
घ प्रारंभिक व्यय	रू0 10,000.00
ङ— आकस्मिक व्यय	रू0 6,000.00
च— कार्यशील पूँजी	रू0 90,000.00

योग— रू0 2,00,000.00

3—वित्तीय स्रोत:—(प्रति व्यक्ति)

अनुदान — अधिकतम रू0—10,000 /—(विशेष केन्द्रीय सहायता से)

ब्याज मुक्त ऋण— रू0 1,90,000 /—(विशेष केन्द्रीय सहायता से)

4— मासिक व्यय:—

1—विद्युत पर व्यय	400 यूनिट दर 7 रूपये प्रति यूनिट —	रू0 2,800.00
2—मजदूरी पर व्यय		रू0 3,000.00
3 कच्चा माल		रू0 5,000.00

62

... पर ह्रास	रू0 9,000.00
5– ऋण की किस्त	रू0 3,200.00
योग–	रू0 23,000.00

5–मासिक आय–

प्रतिमाह बॉस से विभिन्न प्रकार के वस्तुयें तैयार करने एवं बेंत से फर्नीचर तैयार करने पर औसतन माह में 25 दिन कार्य करने पर 90,000.00 रू0 कच्चे माल से तैयार सामग्री की बिक्री से आय– रू035,000.00

6–मासिक बचत– रू0 12,000.00

7–वार्षिक बचत– रू01,44,000.00

ब–मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्ययः–

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता के दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना लागत का 03 प्रतिशत मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में निगम को अनुमन्य होगा।

स–ऋण अदायगीः–

ऋण वितरण के एक माह पश्चात 60 समान मासिक किश्तो मे ऋण अश की बिना ब्याज वसूली की जायेगी। निर्धारित समयावधि मे ऋणगृहीता द्वारा ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी न करने पर ब्याज मुक्त ऋण पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जायेगा। शासकीय धनराशि का दुरूपयोग होने की दशा में ऋण गृहीता से अवशेष देय ऋण की राजस्व विभाग की भांति 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क सहित धनराशि की वसूली की जायेगी।

द–योजना का क्रियान्वयनः–

- प्रदेश के समस्त जनपदों (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में संचालित की जाएगी।
- प्रश्नगत प्रस्तावित योजना में 05 वर्षों मे वितरित ऋणो की वसूली को रिवाल्विंग फण्ड के रूप में प्रयोग कर योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

य–पात्रताः–

1– अनुसूचित जाति का बेरोजगार महिला/पुरुष हो।
2– गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करती/करता हो।
3– उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
4– किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व मे किसी भी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो।

र–चयन प्रक्रियाः–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर पूर्व से संचालित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी चयन में पूर्ण पारदर्शिता का अनुपालन किया जायेगा।

-2-

– 26 –

06193/2020/SCA to SCSP

ऋण–वसूली हेतु दायित्व:

ब्याज मुक्त ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम एवं सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा। प्राकृतिक आपदा/मृत्यु को छोड़कर अन्य समस्त परिस्थितियों में ऋण एन०पी०ए०/दुरूपयोग होने पर ऋण की वसूली का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक अनुगम का होगा।

कृपया निदेशक मण्डल उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

क०सं०	नाम	हस्ताक्षर/दिनांक (सहमति की दशा में)	हस्ताक्षर/दिनांक (असहमति की दशा में)
1	डा० लालजी प्रसाद निर्मल, मा० अध्यक्ष, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०।		
2	श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,उ०प्र० शासन।		
3	श्री मनोज सिंह, प्रबन्ध निदेशक, अनुगम।		
4	श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।		
5	श्री प्रमोद कुमार, संयुक्त निदेशक, संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ०प्र०,लखनऊ।	6/8/18	
6	श्री धीरज कुशवाहा, शोध अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, लखनऊ।		
7	श्री राम रतन, उप सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।	06.8.18	
8	श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अनुविनि, नई दिल्ली।		

-3-

–x–x–x–

-27-